>

Title: Need to regularize the services of staffs working in Kasturba Gandhi Awasiya Balika Vidyalayas in Uttar Pradesh and other parts of the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के संबंध में मुझे कुछ प्रश्न करने की अनुज्ञा दी। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और उनकी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को देश के विभिन्न राज्यों के पिछड़े ब्लाकों में स्थापित करने का निर्णय लिया और निश्चित तौर से आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रदेशों के सुदूर अंचलों जिनमें उत्तर प्रदेश सहित बिहार तथा अन्य तमाम राज्यों में जो पिछड़े विकास खंड थे, जहां आज भी लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए इंटर कालेज की व्यवस्था नहीं है। आज भी उनके मन में पढ़ाई करने की इच्छा होते हुए भी वे पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। जबकि यह समाज मानता है और यह सर्वविदित भी है कि यदि हम एक बालक को पढ़ाते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं। लेकिन जब हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो उससे पूरा एक परिवार शिक्षित होता है, सम्पूर्ण देश शिक्षित होता है। आज उस शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों या बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी दिशा में भारत सरकार ने 2004 में, कांग्रेस यूपीए की सरकार ने ही देश के विभिन्न राज्यों में इसकी स्थापना की है।

इसमें उन पिछड़े ब्लाकों में आज भी कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई होती है। यह आवासीय योजना है। इसमें सामान्य वर्ग की, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़किया हैं। हमारे दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों से भी हैं। वे कभी शिक्षा के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। इस सरकार से मेरा केवल एक ही निवेदन है कि आज जो स्टाफ उसमें काम कर रहे हैं, उनको 12 महीने का मानदेय नहीं मिलता है। उनको हर साल नवीनीकरण करना पड़ता है। जिसकी वजह से पठन-पाठन और शिक्षा की गुणवत्ता भी बाधित होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसमें विनियमितीकरण हो जाए। आज की स्थिति के अनुसार मूल्य सूचकांक को देखते हुए, मँहगाई की दर को देखते हुए, प्राईस इन्डैक्स को देखते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की जाए। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। हम आज एक नया कदम, राईट टू एजुकेशन का लेकर आए हैं। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार की तरह से कानून बनाने का काम इसी सदन और भारत सरकार ने किया है। आज तमाम राज्य पैसे या संसाधन का अभाव दिखा कर उस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। जबकि आज भी राज्य सरकार उसमें 45 प्रतिशत की रेश्यो के हिसाब से पैसे देने के लिए तैयार है। मेरा कहना यह है कि सब जगह इफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मौजूद है तो उसको इन्टरमीडिएट तक कर दिया जाना चाहिए। यदि उसको आरटीई के साथ जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित तौर से जो उद्देश्य कभी महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाने की बात थी। वह केवल साक्षरता दर बढ़ाने की बात नहीं होगी बल्कि लड़कियाँ इन्टरमीडिएट तक शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी होंगी। आगे चलकर डिग्री और पोस्टग्रैजुएशन कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इससे महत्वपूर्ण कोई मसला नहीं हो सकता है। कस्तूरबा गाँधी आवास विद्यालय में काम करने वाले अध्यापकों और स्टाफ के मानदेय में वृद्धि की जाए, उनको नियमित किया जाए। यह मेरी माँग है।

अध्यक्ष महोदया:

श्री पन्न लाल पूनिया,

श्री कमल किशोर 'कमांडो' एवं

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह अपने आपको श्री जगदंबिका पाल द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।